संख्या—वे0आ0—2—841/दस—2009—59(एम)/2008

प्रेषक,

मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2009

विषयः— पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—1371/दस—59(एम)—2008, दिनांक 02 जनवरी, 2009 एवं संख्या—वे0आ0—2—299/दस—59(एम)—2008 टी0सी0, दिनांक 27 फरवरी, 2009 सपठित शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—1318/दस— 59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित विस्तृत व्यवस्था की गयी है।

2— उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर—1 के स्पष्टीकरण—4 के आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 के उपरान्त किसी पद/संवर्ग का वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित होने की स्थिति में उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपलब्ध है किन्तु पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के उपरान्त पद का वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित होने की स्थिति में उच्चीकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में उपलब्ध नहीं है। ऐसे संवर्ग/पदों, जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद हुआ हो और सम्बन्धित पदधारक द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना, वेतनमान उच्चीकरण की तिथि के पूर्व से चुनने का विकल्प दिया गया हो, उन मामलों में पुनरीक्षित वेतन संरचना में पद के उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) किसी कार्मिक द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के उपरान्त यदि सम्बन्धित पद के उच्चीकृत/संशोधित

वेतनमान के उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है, तो उच्चीकरण की तिथि को वेतन बैण्ड में उसका वेतन (बैण्ड वेतन) अपरिवर्तित रहेगा और उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। तदोपरान्त 06 माह अथवा उसके उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को उसे अगली सामान्य वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी।

(2) यदि संबंधित कार्मिक द्वारा पद के उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में, उच्चीकरण की तिथि के उपरान्त पड़ने वाली अपनी सामान्य वेतन वृद्धि की तिथि से, वेतन निर्धारण हेतु विकल्प दिया जाता है, तो उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से वेतन निर्धारण का कोई लाभ देय नही होगा अर्थात उसका वेतन बैण्ड में वेतन तथा ग्रेड वेतन यथावत रहेगा और अगली वेतन वृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को संबंधित कार्मिक को देय सामान्य वेतन वृद्धि, जो उसे पूर्व से मिल रहे वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के आधार पर आगणित होगी, अनुमन्य कराते हुए उच्च ग्रेड वेतन देय होगा।

(3) उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड/ग्रेड में संबंधित कार्मिक का वेतन शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1371/दस–59(एम)/2008, दिनांक 02 जनवरी, 2009 सपठित शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक–2 में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा इसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना की तालिका (ब) में संबंधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के सम्मुख उल्लिखित कुल धनराशि से कम वेतन निर्धारित होने पर उसे उपर्युक्त तालिका (ब) के अनुसार आगणित कुल धनराशि के बराबर मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा।

3– उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार वेतन निर्धारण से सम्बन्धित उदाहरण संलग्नक–1 पर उपलब्ध है।

4— उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–841 (1)/दस–59(एम)/2008, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I एवं II तथा (आडिट)–I एवं II उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4— महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6— निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8— उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9— इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10— गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।